सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 669 राँची ,शुक्रवार 20 भाद्र 1937 (श०)

11 सितम्बर, 2015 (ई०)

उत्पाद एवं मध निषेध विभाग

अधिसूचना

8 सितम्बर, 2015

संख्या-1/नीति-5-1/2015-1982--झारखण्ड गजट के असाधारण अंक संख्या-69 दिनांक-20 फरवरी, 2009 के द्वारा प्रकाशित उत्पाद एवं मध निषेध विभाग के ''संकल्प संख्या-1/नीति-40-4/2009-367 दिनांक 20 फरवरी, 2009 में'' झारखण्ड उत्पाद अधिनियम की धारा-89 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा :-

संशोधन

कतिपय कंडिकाओं में संशोधन :- नीचे स्तम्भ 1 में ''संकल्प संख्या-1/नीति-40-4/2009-367 दिनांक 20 फरवरी, 2009'' के वर्तमान कंडिकाओं के स्थान पर स्तम्भ 2 में यथा उपवर्णित कंडिका प्रतिस्थापित किये जायेंगे, यथा –

क्र0 सं0	स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
	वर्तमान में लागू कंडिका	**एतद् द्वारा प्रतिस्थापित कंडिका**
1	**<u>कंडिका-1</u>** खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती लॉटरी के माध्यम से दुकानवार (अधिकतम 3 दुकान यथा-एक लाभकर दुकान, एक सामान्य दुकान एवं एक अलाभकर दुकान) की जाएगी। वर्तमान में लागू निविदा सह-नीलामी पद्धति को समाप्त कर अन्य राज्यों की भांति लॉटरी पद्धति के तहत देशी शराब/मसालेदार देशी शराब तथा विदेशी शराब की खुदरा दुकानों की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से अगले साल के 31 मार्च तक या उसके अंश के लिए की जाएगी। खुदरा अनुज्ञप्तियों के नवीकरण का प्रावधान नहीं रहेगा। **<u>कंडिका-12</u>** सभी प्रकार की शराब की खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा दुकानवार (अधिकतम तीन दुकान एक लाभकर, एक सामान्य एवं एक अलाभकर का समूह) बन्दोबस्त किया जायेगा।	**<u>कंडिका-1</u>** खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती लॉटरी के माध्यम से दुकानवार (अधिकतम 5 दुकान, जिला के उपायुक्त द्वारा शत् प्रतिशत् बन्दोबस्ती के उद्धेश्य से लाभकर, सामान्य दुकान एवं अलाभकर दुकान मिलाकर समूह में) की जाएगी। वर्तमान में लागू निविदा सह-नीलामी पद्धति को समाप्त कर अन्य राज्यों की भांति लॉटरी पद्धति के तहत देशी शराब/मसालेदार देशी शराब तथा विदेशी शराब की खुदरा दुकानों की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से अगले साल के 31 मार्च तक या उसके अंश के लिए की जाएगी। खुदरा अनुज्ञप्तियों के नवीकरण का प्रावधान नहीं रहेगा । **<u>कंडिका-12</u>** सभी प्रकार की शराब की खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा दुकानवार (अधिकतम पाँच दुकान, जिला के उपायुक्त द्वारा शत् प्रतिशत् बन्दोबस्ती के उद्धेश्य से लाभकर, सामान्य एवं अलाभकर दुकान का समूह) बन्दोबस्त किया जायेगा।
2	**<u>कंडिका-17 (ख)</u>** देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के लिए वर्तमान में प्रचलित "ऑन एवं ऑफ" व्यवस्था यथावत् रहेगी।	**<u>कंडिका-17 (ख)</u>** देशी शराब/मसालेदार देशी शराब के लिए वर्तमान में प्रचलित "ऑन एवं ऑफ" व्यवस्था यथावत रहेगी। स्थल की अनुपलब्धता की स्थिति में देशी शराब के खुदरा अनुज्ञाधारियों को उनके अनुरोध पर "ऑफ" दुकान खोलने की भी सहमति दी जा सकेगी।

3	**<u>कंडिका-18</u>** लॉटरी द्वारा बन्दोबस्त की जानेवाली उत्पाद दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर देशी शराब/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब दुकानों को मिलाकर प्रति 100 व्यक्ति पर लगभग 15 पेटी (केस) की दर से किया जायेगा। आयुक्त उत्पाद के द्वारा इसकी गणना कर राज्य एवं जिलों के न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का सटीक निर्धारण किया जाएगा।	**<u>कंडिका-18</u>** उत्पाद दुकानों के लिए न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण जनसंख्या, औधोगिकीकरण, शहरीकरण, आर्थिक विकास की दर, जनसंख्या विकास की दर, भौगोलिक क्षेत्र में पूर्व के वर्षों का खपत, मुद्रा का परिचालन आदि को दृष्टिपथ रखते हुए किया जाएगा। उक्त अवयवों के आधार पर आयुक्त उत्पाद के द्वारा राज्य एवं जिलों का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का निर्धारण किया जाएगा तथा समय-समय पर राजस्व हित में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकेगा।
4	**<u>कंडिका-22 ए</u>** झारखण्ड गजट के असाधारण अंक संख्या-69 द्वारा प्रकाशित संकल्प संख्या-1/नीति-40-04/2009 में यह कंडिका नहीं थी।	**<u>कंडिका-22 ए (नई कंडिका) 22 के पश्चात् निम्न रूपेण सम्मिलित-</u>** मदिरा के चौर्य व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु देशी शराब एवं मसालेदार देशी, विदेशी शराब के विनिर्माणशालाओं, वितरकता अनुज्ञप्तियों तथा झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड में हरेक आवश्यक स्थानों पर सी0सी0टी0भी0 को लगाते हुये प्रत्येक गतिविधि का पर्यवेक्षण उत्पाद मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष से किया जाएगा। मुख्यालय स्थित नियंत्रण कक्ष में आवश्यक उपकरण तथा विनिर्माणशालाओं/वितरकों/ झारखण्ड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के डिपो में सी0सी0टी0भी0, इन्टरनेट आदि लगाने का व्यय भार संबंधित अनुज्ञाधारियों द्वारा उठाया जाएगा।

2- प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् (दिनांक 01 सितम्बर, 2015 को आहूत बैठक में मद संख्या-05 के रूप में सम्मिलित) का अनुमोदन प्राप्त है।

3- यह अधिसूचना पूर्व में इन विषय वस्तुओं से संबंधित निर्गत सभी अधिसूचनाओं को अवक्रमित करेगी ।

4- यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / - असपष्ट,
सरकार के अवर सचिव,
उत्पाद एवं मध निषेध विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 669--50+200 ।